



E.S.I.C.

कामगार राज्य बीमा महामंडळ  
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
Employees' State Insurance Corporation  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप प्रादेशिक कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय /  
Sub-Regional Office  
पंचदीप भवन, गणेशपेठ,  
नागपुर, महाराष्ट्र - 440018  
Panchdeep Bhawan, Ganeshpeth, NAGPUR,  
MAHARASHTRA - 440018  
☎: 2720141, 2726219, 2726365, 2729075, Fax: 0712-  
2729359  
E-mail: dir-nagpur@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in

पत्रांक :23/ए -20015/16/2023-स्था.

दिनांक:22-04-2025

## परिपत्र / Circular

**विषय:-** Option and Change of Option for availing medical facilities-reg.

उपरोक्त विषयान्तर्गत, मुख्यालय का पत्रांक:D-13011/2/2022-E-IV दिनांक-29.07.2024 सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु परिचालित किया जा रहा है।

On above cited subject, Headquarters' letter No: D-13011/2/2022-E-IV dated-29.07.2024 is being circulated for information and necessary compliance of all officers /officials.

क.रा.बी. निगम में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने हेतु निम्नानुसार 02 विकल्प दिए गये हैं:-

The officers/officials serving in E.S.I. Corporation have been provided with 02 options as follows for availing medical facilities: -

1. availing medical facilities from ESIC medical institutions on payment of requisite contribution

or,

2. availing medical facility under CS(MA) Rules 1944.

मुख्यालय द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त विकल्पों को चयन करने तथा बदलने के लिए अवसर प्रदान की गयी है।

Headquarters has given an opportunity to all officers/officials to opt/change said options.

अतः,सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि, वह मुख्यालय के उपरोक्त पत्रानुसार अपना विकल्प स्थापना शाखा,उप क्षेत्रीय कार्यालय को दिनांक 09/05/2025 तक प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मुख्यालय के पत्र दिनांक में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

Therefore, all the officers/officials are directed to submit their options to Establishment Branch, Sub Regional Office by 09/05/2025, as per a fore-said Headquarters' letter. After the said date, any change in this regard will be made only as per the guidelines issued in the Headquarters' letter dated 29.07.2024.

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।  
This issues with the approval of the Competent Authority.

(हेमंत सं. बरडे )  
सह. निदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :-

- 1.सभी अधिकारी/कर्मचारी, उ.क्षे.का नागपूर ।
- 2.सभी शाखाए,शाखा कार्यालयों / औषधालय सह शाखा कार्यालयों, उ.क्षे.का नागपूर ।
- 3.वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु
- 4.सूचना पटल